



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP00600950303313V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP00600950303313V
Certificate Issued Date	: 29-Aug-2023 01:23 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14287204/ GHAZIPUR SADAR/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1428720496785730341448V
Purchased by	: CHANDRASHEKHAR JI PURV P SMARK PHARMACY COLLEGE
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: CHANDRASHEKHAR JI PURV P SMARK PHARMACY COLLEGE
Second Party	: SACHIV PRAVIDHIK SHIKSHA PARISHAD U P LUCKNOW
Stamp Duty Paid By	: CHANDRASHEKHAR JI PURV P SMARK PHARMACY COLLEGE
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

4100

4100-160-100-100

30269
दिनांक 29/08/23



CHANDRASHEKHAR JI PURV P SMARK PHARMACY COLLEGE
C Name: CHANDRASHEKHAR JI PURV P SMARK PHARMACY COLLEGE
C Code: UP14287204
C Address: Ghazipur Sadar, Ghazipur, Uttar Pradesh
C Contact: 9829001414
Stamp No: 100/2023
Stamp Duty: 100/-

NOTARY
GHAZIPUR (U.P.)



Handwritten signature

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.eStamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. In case of detecting the negligence in the terms of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

हम उमाशंकर सिंह एवं अशोक कुमार सिंह कनका अध्यक्ष एवं सचिव (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) स्वो चन्द्रशेखर जी पूर्व प्रधानमन्त्री स्मारक ट्रस्ट सेवराई नदीरा गाजीपुर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा चन्द्रशेखर जी पूर्व प्रधानमन्त्री स्मारक फार्मसी कालेज रामपुर कनवा सेवराई-गाजीपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम रामपुर कनवा में गाटा संख्या 198 कुल रकबा 0.8640 हे० यानि 8106.666 वर्ग मीटर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 198 कुल रकबा 0.8640 हे० यानि 8106.666 वर्ग मीटर भूमि है। पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 06.05.2022 द्वारा पारित किया गया है।
6. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक प्लास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

NOTARY
GHAZIPIUR (U.P.)



में घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटचिंत अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहेगा/रहेगी।

हो सचिव

हो अध्यक्ष

Umaid
ad n